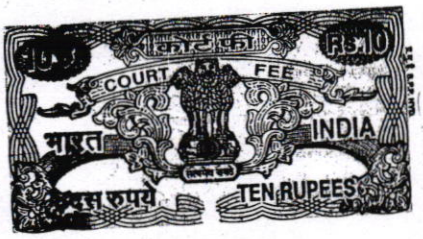

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. /2017–18 निगरानी

निगरानी-3849/2018/शाजापुर/भू.रा.

शौकत शाह पिता मातम शाह, आयु–65 वर्ष
व्यवसाय–कृषि, जाति–फकीर मुसलमान
निवासी–अकोदियानाका पेट्रोल पम्प के पास
शुजालपुर जिला शाजापुर

...............प्रार्थी

––विरूद्ध––

1. हाजी मुस्तर अली पिता छोटे अली
2. नफीस पठान पिता हबीब पठान जाति–मुसलमान
3. आबिद अली पिता हाजी मुस्तर अली
   निवासीगण–किला, शुजालपुर सिटी जिला
   शाजापुर (म.प्र.)

..........प्रतिप्रार्थीगण

विषय :– न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर जिला शाजापुर के प्रकरण क्रं. 8/अपील/17–18 मे पारित आदेश दिनांकित 22–05–2018 के पुनरीक्षण हेतु निगरानी याचिका धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत.

मान्यवर महोदय,

प्रार्थी की और से निम्नलिखित निगरानी याचिका प्रस्तुत है :–

::–संक्षिप्त तथ्य ::–

1. यह कि प्रतिप्रार्थीगण द्वारा कस्बा शुजालपुर में स्थित भूमि सर्वे क्रं. 446/1 रकबा 0.102 हे.सर्वे क्रं. 446/1 मीन 2 रकबा 0.003 हे. के भूमि स्वामी होना बताकर प्रार्थी की अनुपस्थिति में सीमाकंन कराकर धारा 250 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र प्रकरण क्रं. 3/अ–17/16–17 में दर्ज किया गया और उक्त आवेदन पत्र उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया गया और प्रार्थी द्वारा धारा 32 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता एवं धारा 10 सी.पी.सी. के

XIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3849/2018/शाजापुर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4/7/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर जिला शाजापुर द्वारा यह मानते हुए कि प्रकरण के न्यायोचित निराकरण हेतु उभयपक्ष की साक्ष्य ली जाना आवश्यक है। उक्त प्रकरण अपीलांट पक्ष की साक्ष्य हेतु नियत किया है। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश न्यायिक, विधिसम्मत एवं औचित्यपूर्ण होकर स्थिर रखे जाने योग्य है जिसमें हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण का निराकरण अभी गुण-दोष पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	